भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 345
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीएचसी में विशेषज्ञता चिकित्सकों की कमी

345. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री एस. वेंकटेशन:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार देश सर्जन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आवश्यक विशेषज्ञों की लगभग 80 प्रतिशत कमी है;

(ख) यदि हां, तो संख्या और प्रतिशत के सन्दर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के सीएचसी में समयबद्ध तरीके से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए क्या विनिर्दिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सर्जन, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021%2022.pdf पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन के दायरे में उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य देखरेख प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत, देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और आवासीय मकान दिया जाता है ताकि उन्हे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा करना आकर्षक लगे।
- स्त्रीरोग विशेषज्ञ/ आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) में प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) में प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, एएनएम को समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन हेतु प्रोत्साहन।
- राज्यों को "यू कोट वी पे" जैसी रणनीतियों में लचीलेपन सहित विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए लचीली वेतन पेशकश की भी अनुमति है।
- एनएचएम के तहत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार की शुरुआत की गई है।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों को बहु-कौशलपूर्ण बनाने में सहयोग दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख रणनीति है।
- एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा (51) के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के विनियमों में राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 10% अंक तक और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईईटी (पीजी) में अधिकतम 30% अंक तक के प्रोत्साहन प्रावधान है। इसके अलावा, 50% मेडिकल डिप्लोमा सीटें राज्य सरकार के इन-सर्विस मेडिकल डॉक्टरों, जिन्होंने दूरस्थ और/या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा की है, के लिए आरक्षित हैं।

*****